जागरण

अवैध आयुर्वेदिक फैक्ट्री पर एसडीएम का छापा, सील

Publish Date:Fri, 25 Jun 2021 04:13 AM (IST) | Author: Jagran

जागरण संवाददाता, हाथरस : डीएम रमेश रंजन के निर्देश पर गुरुवार को एसडीएम अंजली गंगवार ने एसीएमओ डा.डीके अग्रवाल के साथ लहरा रोड स्थित आयुर्वेदिक दवा की फैक्ट्री में छापा मारा। अवैध रूप से संचालित मिली फैक्ट्री को एसडीएम ने सील करा दिया।

एसडीएम सदर अंजली गंगवार गुरुवार को लहरा रोड पर मोहता आयुर्वेदिक भवन नाम से संचालित फैक्ट्री पर पहुंचीं। मौके पर करीब 28 व्यक्ति आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करते मिले थे, मगर छापा पड़ते ही भाग गए। एसडीएम सदर ने फैक्ट्री के बारे में पड़ताल की तो पाया कि वहां दवाओं की जांच के लिए न प्रयोगशाला है, न टेक्नीशियन। फैक्ट्री भी बिना लाइसेंस के चलती मिली। मौके पर उक्त भवन में तैयार दवाएं एवं दवाओं के निर्माण में प्रयोग होने वाला कच्चा माल भंडारित पाया गया। फैक्ट्री का लाइसेंस वर्ष-2017 तक ही वैध था। इसके बाद से बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से दवाओं के निर्माण की फैक्ट्री चल रही थी। आयुर्वेदिक दवाओं की इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। एसडीएम का कहना है कि फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। न लाइसेंस रीन्यू कराया गया था और न ही वहां टेक्नीशियन मौजूद था। फैक्ट्री को सील करने साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

संसू, सादाबाद : गुरुवार को एसडीएम व औषधि निरीक्षक ने गांव मई तथा बिसावर के मेडिकल स्टोर तथा निजी अस्पतालों पर छापामार कार्रवाई की। गांव मई स्थित भारत मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नवीनीकरण

न होने पर वहां से दो लाख रुपये की दवाई जब्त कर ली। तीन मेडिकल स्टोर सील कर दिए। झोलाछाप चिकित्सक अपनी-अपनी दुकानों को बंद करके भाग खड़े हुए।

गुरुवार को एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे, औषधि निरीक्षक दीपक कुमार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एमओआइसी डा. दानवीर सिंह ने मई के हॉस्पिटल व मेडिकल स्टोर तथा पैथोलॉजी सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने इन सभी से कागजात मांगे लेकिन कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। मई में कई दुकानदार दुकानें बंद कर भाग गए। फोन करके बुलाने के बाद भी नहीं आए। जिस पर औषधि विभाग ने अमित, दीप व वेद मेडिकल स्टोर सील कर दिए। भारत मेडिकल स्टोर, जिसका लाइसेंस तीन साल पहले समाप्त हो चुका था, मगर वह मेडिकल स्टोर चलने पर सील कर दिया गया। दो लाख रुपये कीमत की दवा जब्त कर ली। चार दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। यहां पर डा. रमेश बाबू का अस्पताल भी चेक किया गया तथा कागजात भी देखे गए। इसके अलावा बिसावर-मथुरा मार्ग पर स्थित महादेव हॉस्पिटल, जिसमें एक महिला का सीजेरियन ऑपरेशन हो चुका था, महिला मौजूद थी, लेकिन इस चिकित्सालय पर कोई भी चिकित्सक नहीं था। यहां मेडिकल स्टोर भी संचालित था। चिकित्सालय का संचालक मौजूद मिला। अस्पताल में ओटी चलती पाई गई। लाइसेंस अथवा स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक कागजात मांगने पर संचालक कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/hathras-sdm-raid-on-illegal-ayurvedic-medicine-factory-sealed-21770197.html